144 क

16/5/18

16/7/18

मिठु महतो वगैरह

बनाम

छेदना महतो वगैरह

प्रथम सुनवाई

M - 69/2018

1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित 3
16/5/18	मिठु महतो वगैरह के आवेदन ~~थाना प्राथमिकी संख्या~~ द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव है और शांति भंग होने की आशंका है । ~~थाना प्रभारी ने~~ द० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई ~~हेतु अनुशंसा की है~~ । आरम्भ की है। **जमीन का विवरण** ग्राम: दियाकेल, खाता: 28, प्लाट: 1466, रकबा: 1.25 एकड़ अतः मै .... अनु० दण्डा० खूँटी उक्त आवेदन ~~पुलिस प्रतिवेदन~~ से संतुष्ट होकर विवादित जमीन पर द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष करे तकरारी जमीन पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ । उभय पक्ष को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें । दिनांक 31/5/18 को रखें । 16.5.18 अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी	1S 3 16/5/18

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

वाद सं0 एम0–69/2018–19

धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत

मिठु महतो वगै0 बनाम छेदना महतो वगै0

आदेश

यह वाद वादी सह आवेदक मिठु महतो वगै0 के द्वारा मौजा दियांकेल स्थित भूमि को लेकर प्रतिवादीगण छेदना महतो वगै0 के साथ विवाद विद्यमान होने के कारण शांति भंग होना सम्भाव्य का इतिला आवेदन पर अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया। अंचल अधिकारी से भूमि विवाद संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने में विलम्ब होने एवं द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्माण किये जाने का सूचना से संतुष्ट होकर धारा 144 की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

विवादित भूमि का विवरणी निम्नवत है :–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
दियांकेल	28	1466	62 1/2 डी0

चौहदी: पूरब कोर तोपनो प्रभु दयाल गुड़िया पश्चिम भीखम महतो उत्तर कृष्णा नाग बेचना साहु दक्षिण चमरा डोड़राय.

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर तकरारी जमीन पर दावा संबंधी कारणपृच्छा मांग किया गया। प्रथम पक्ष अपने कारणपृच्छा में कहते है कि मौजा दियांकेल थाना तोरपा थाना न0 51 खाता न0 28 प्लॉट न0 1466 कुल रकवा 1.25 एकड़ हाल सर्वे खतियान में दुखन कुम्हार भुखा कुम्हार एंव अजनाथ कुम्हार पिता आसमान कुम्हार एंव दशरथ कुम्हार पिता टेम्हा कुम्हार क नाम से दर्ज है प्रथम पक्ष गण खतियानी रैयत अजनाथ कुम्हार के वंशज है एंव विपक्षीगण दशरथ कुम्हार के वंशज है। तकाररी भूमि प्लॉट न0 1466 रकवा 1.25 एकड़ खतियानी रैयत अजनाथ कुम्हार के कब्जे में दर्शाया है जो प्रथम पक्ष के पूर्वज थे। द्वितीय पक्ष के पूर्वज दशरथ कुम्हार का नाम गलत तरीके से खतियान में जोड़ा गया है। साविक सर्वे में केवल प्रथम पक्ष के पूर्वज का नाम खतियान में दर्शाया गया है। द्वितीय पक्ष के सदस्यों के द्वारा फर्जी बँटवारा पटटा बनाया गया है। जिस पटटे में मिथुन महतो प्रथम पक्ष के सदस्य पक्षकार नही थे।बाबजूद इसके उनका नाम अगुठे का निशान को गलत ढंग से दर्शा दिया गया है। द्वितीय पक्षके इस कृत से स्वत सिद्ध होता है कि यह पटटा फर्जी एवं गलत है। इस पटटा के आधार पर तकरारी जमीन पर द्वितीय पक्ष का हक दखल सरोकर नही है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण झगड़ालू एवं कानून को मानने वाले नही है। तकरारी भूमि पर द्वितीय पक्ष के लोग मकान निर्माण करना चाहते है जिसस कारण द्वितीय पक्ष के सदस्यों द्वारा शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है। प्रथम पक्ष के द्वारा विवादित जमीन पर निर्माण कार्य रोकने पर नही मानते है बल्कि झगड़ा करने एवं बुरा अंजाम भुगतने का धमकी देते है। द्वितीय पक्ष को धारा 144 के कार्यवाही के तहत् तकरारी जमीन पर जाने से प्रतिबंधित करने और उनके पक्ष में मुक्त करने का निवेदन करते है।

द्वितीय पक्ष अपने कारणपृच्छा में कहते है कि विपक्षीगण के पूर्वज दशरथ कुम्हार का नाम आर0एस0 खतियान में दर्ज है एंव विपक्षीगण इस वादग्रस्त जमीन पर पूर्वजों के समय से दखलकार है। अभी तक माल गुजारी रसीद कट रहा है जिसकी प्रतियाँ एंव आर0 एस0 खतियान की छायाप्रति विपक्षीगण के द्वारा दाखिल किया गया है। इनका कहना है कि प्रथम पक्ष के सदस्यगण वादग्रस्त जमीन पर एक दिन के लिए भी दखलकार नही है। चँकि प्रथम पक्ष के सदस्यगण सिविल कोर्ट में केस विपक्षीगण के विरूद्ध दायर कर चुके हैं इसलिए इस न्यायालय से वाद का फैसला नही हो सकता है।

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारणपृच्छा, राजस्व कागजात, गवाहों का गवाही एव विद्वान अधिवक्ताओं के बहस में आये तथ्यों के आलोक में तकरारी जमीन में विवाद का कारण हाल सर्वे खतियान में अंशदार होने से संबंधित है। जिस पर प्रथम पक्ष के द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है। यह मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। प्रथम पक्ष इस वाद को सक्षम न्यायालय में दाखिल करें।

लेखापित एंव संशोधित।

16/3/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खूँटी।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खूँटी।